Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

कार्यालय कमिश्नर वणिज्य कर उत्तर प्रदेश

/ वाणिज्य कर लखनऊ::दिनांक::जुलाई 30, 2009

आदेश

2009 की अर्द्ध रात्रि से प्रदेश की समस्त जांच चौकियों/रेलवे जांच चौकियों को समाप्त लस्वरुप उक्त जांच चौकियों पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों/पुलिस कार्मिकों के समायोजन के साथ ही इन पर स्थित चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थायें किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। अत: इस सम्बन्ध में तत्काल निम्न व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव से किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है:-

1- अधिकारियों की यथा सम्भव जोन में ही तैनाती हेतु स्थापना राजपत्रित अनुभाग से पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

2- दि0 05-08-2009 तक बहती के खारिज होने की वैकल्पिक व्यवस्था के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर शेष को उनके पूर्व तैनात स्थलों (गहन जनपद /जोन) **को वापस** कर दिया जायें। वैकल्पिक व्यवस्था में लगे कार्मिक भी उक्त तिथि के बाद **तद्नुसार वापस** किये जायेंगे।

3- चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं पारगमन पत्रों के निरस्तीकरण की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिये आवश्यक पुलिस कार्मिकों को छोड़कर शेष पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वि0अनु0शा0 इकाइयों/सचल दल इकाइयों में **जोन स्तर से ही** तैनात किये जायें।

4- जॉच चौकी स्थल पर अपरिहार्य परिस्थिति में रखे गये अभिलेखों एवं विद्यमान चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने स्तर से आवश्यक व्यवस्थायें करेंगे।

5- आज दि0 30/31 जुलाई, 2009 की अर्द्ध रात्रि से उक्त व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण तथा शासन के निर्णय एवं भावनाओं के अनुरुप आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने की दृष्टि से मुख्यालय पर पूर्व से **कक्ष संख्या-26 में** स्थापित कन्ट्रोल रुम जिसका **दूरभाष संख्या - 0522-2721153 है, में दि0 05-08-2009** तक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। इसमे अधिकारियों एवं कार्मिकों की अहर्निश ड्यूटी स्थापना राजपत्रित/ अराजपत्रित अनुभाग से लगायी जायेगी।

6- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर शासन के निर्णय का अक्षरश: अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा नियमानुसार कठिनाइयों का निराकरण करायेंगें तथा महत्वपूर्ण घटनाक्रम से अधोहस्ताक्षरी/एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 को दूरभाष/फैक्स से अवगत करायें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करायें।

ह0/-

(अनिल संत)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइंट कमिश्नर (अनुभाग प्रभारी) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
3. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
5. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, जांच चौकी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(बी0 राम शास्त्री)
एडीशनलकमिश्नर, वाणिज्य कर,उ0प्र0।